सं0 4115–38–3–2001– 500(15)/2001

प्रेषक,

रमेन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 20–09–2001

विषय : विधायक निधि के मार्ग–दर्शी सिद्वान्त में संशोधन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया शासनादेश सं0– 4096–38–3–2001–500(15)/20001 दिनांक 20 सितम्बर,2001 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें मार्ग–दर्शी सिद्वान्त के प्रस्तर 3.9 में संशोधन करते हुये तत्काल प्रभाव से कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश निर्गत किये गये थे।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने के निदेश हुआ है कि आपकी सुविधा के लिए विधान सभा के जिन सदस्यों ने अपना त्यागपत्र दिया है और जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है, उससे सम्बन्धित विधान सभासचिवालय की अधिसूचना संख्या 2072 दिनांक 17 सितम्बर,2001, अधिसूचना संख्या 2078 दिनांक 18 सितम्बर,2001, अधिसूचना संख्या 2080 दिनांक 19 सितम्बर,2001, अधिसूचना संख्या 2088 दिनांक 20 सितम्बर,2001 की प्रति आपके उपयोगार्थ इस आशय से उपलब्ध कराया जा रहा है कि अधिसूचना पत्र में उल्लिखित त्यागपत्र की तिथि से आप अवगत हो जाये।

मुझे यह भी कहनें का निदेश हुआ है कि अधिसूचना के अनुसार जिन तिथियों को मा0 विधायक ने त्याग पत्र दिया है, विधायक निधि के उपयोग के सम्बन्ध में वह कट आफ डेट मानी जायेगी।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुये आयुक्त, ग्राम्य विकास को लौटते फैक्स से त्याग पत्र देने वाले मा0 विधायक के कोटे की अवशेष धनराशि को अवगत कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक- यथोपरि

(रमेन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव

4115
सं0 — 38—3—2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त उ0 प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0 प्र0।

आज्ञा से,

(रमेन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव